हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.5(33)एचजेयू/जीएडी/मीटिंग/वि.प.-IV/2022/17869 दिनांकः 29.11.2022

विद्यापरिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक 23.11.2022 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक 23.11.2022 को दोपहर 3.00 बजे "मन्थन" सभागार, द्वितीय तल, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2.	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक एवं नाम निर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3.	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव एवं नाम निर्देशित प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4.	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5.	डॉ. ऋचा यादव	डीन, पत्रकारिता संकाय, अध्यक्ष BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर

6.	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	डीन, जनसंचार संकाय, अध्यक्ष BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
7.	डॉ. रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
8.	श्रीमती गरिमा श्री	संयोजक BoS, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
9.	श्रीमती शालिनी जोशी	संयोजक BoS, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
10.	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, BA-JMC एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
11.	अबु सुफ़ियान चौहान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

बैठक का आरम्भ कुलसचिव महोदय द्वारा विद्यापरिषद् के विभिन्न पदाधिकारियों के स्वागत तथा कुलपति महोदय द्वारा उद्बोधन में विश्वविद्यालय की विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की चर्चा के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित विद्यापरिषद् के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
4-1	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 18.02.2022 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

4–2	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की विशेष बैठक–तृतीय दिनांक 20.04.2022 के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
4–3	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु दिनांक 03.12.2021 को विज्ञापित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाने के कारण विज्ञापन पुनः जारी कर विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2021 को विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। परन्तु राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक 3334 दिनांक 01.02.2022 के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति किए जाने तक रोक लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। साथ ही इसी दौरान आयुक्त, विशेष योग्यजन न्यायालय द्वारा विशेष योग्यजन हेतु प्रत्येक संवर्ग में एक सीट आरक्षित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक राय प्राप्त की गई, तथा उक्तानुसार कार्रवाई की जा रही है। उक्त विज्ञापन के क्रम में आवेदन प्राप्त कर लिए गए थे। परन्तु प्रक्रिया स्थगित हो जाने के कारण नियमित भर्ती का कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। उक्त विज्ञापन जारी किए जाने को 01 वर्ष पूर्ण होने वाला है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ की कमी तथा गतिविधियों के विस्तार के कारण शिक्षकों की भर्ती किया जाना अत्यावश्यक है। अतः विज्ञापन पुनः जारी कर विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।
	संकल्प / निर्णय विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 015 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

4-4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों हेतु विज्ञापन जारी कर नियमित भर्ती किए जाने संबंधी प्रस्ताव को प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है। सदन में सूचनार्थ प्रस्तुत है।
	संकल्प / निर्णय विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।
4-5	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की विद्यापरिषद् की विशेष बैठक-प्रथम एवं द्वितीय के निर्णयानुरूप विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु तैयार विषय विशेषज्ञों के पैनल को आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए भी स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2021 को विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। परन्तु राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 3334 दिनांक 01.02.2022 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया रोक लगा दिए जाने के कारण शैक्षणिक पदों पर भर्ती का कार्य संपन्न नहीं हो सका। शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए दिसम्बर, 2021 में विद्यापरिषद् की विशेष बैठक-प्रथम एवं द्वितीय आयोजित कर चयन समिति हेतु विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया था। विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही संपादित की जानी है। अतः तत्समय तैयार विषय विशेषज्ञों के पैनल को ही स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
	संकल्प / निर्णय विद्यापरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से सहमति जताई गई।

4-6	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में सत्र 2023-24 से यूजीसी के दिशा-निर्देशों की अनुरूपता में जनसंचार संकाय एवं पत्रकारिता संकाय के संकायाध्यक्षों के प्रस्तावानुरूप पाठ्ययोजनाओं के नाम परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
4-7	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ख) एवं (ग) के अनुसरण में जनसंचार संकाय के विकास संचार विभाग के अर्न्तगत निम्नानुसार नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन : (i) शैक्षणिक सत्र 2023-24 से जन-स्वास्थ्य संचार (Public Health Communication) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत (Self Financing Scheme) सर्टिफिकेट कोर्स (06 माह अवधि) आरंभ किया जाना। (ii) शैक्षणिक सत्र 2023-24 से जन-स्वास्थ्य संचार(Public Health Communication) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत (Self Financing Scheme) डिप्लोमा कोर्स (01 वर्ष अवधि) आरंभ किया जाना। (iii) एमए (विकास संचार) के पाठ्यक्रम में जन-स्वास्थ्य संचार (Public Health Communication) को ओपन इलेक्टिव पेपर के रूप में शैक्षणिक सत्र 2023-25 से तृतीय सैमेस्टर में आरंभ किया जाना।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
4-8	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ख) एवं (ग) के अनुसरण में आगामी सत्र 2023-24 से पत्रकारिता संकाय में मीडिया अध्ययन विभाग के अर्न्तगत स्ववित्त पोषित योजना (Self Financing Scheme) में उर्दू पत्रकारिता में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

4–9 हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(च) के अनुसार एमए–जेएमसी (प्रिंट मीडिया), एमए–जेएमसी (इलैक्ट्रॉनिक मीडिया), एमए– जेएमसी (एमओएपी) एवं एमए–जेएमसी (एसएमओजे) वर्ष 2022 की अंतिम परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों के लिए डिग्री का अनुग्रह पारित करने का निवेदन।

संकल्प / निर्णय

विश्वविद्यालय में वर्ष 2022 में ली गई अंतिम परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपाधियों का अनुग्रह पारित करने की निम्नानुसार घोषणा की गई :

क्र. सं.	संकाय का नाम	परीक्षा का नाम	वर्ष 2022
1	पत्रकारिता संकाय	मास्टर ऑव् आर्ट्स–जर्नलिज़्म एंड मास कम्यूनिकेशन (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)	ऋषिता मेहरा एवं अन्य 16
		मास्टर ऑव् आर्ट्स–जर्नलिज़्म एंड मास कम्यूनिकेशन (प्रिंट मीडिया)	अंजली शर्मा एवं अन्य 09
		मास्टर ऑव् आर्ट्स–जर्नलिज़्म एंड मास कम्यूनिकेशन (सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन जर्नलिज़्म)	दिव्यांशी माथुर एवं अन्य 07
2	जनसंचार संकाय	मास्टर ऑव् आर्ट्स–जर्नलिज़्म एंड मास कम्यूनिकेशन (मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइज़िंग एंड पब्लिक रिलेशंस)	अंशिता सैनी एवं अन्य 10

4–10 हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में गत सत्रों में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान किए जाने हेतु दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।

संकल्प / निर्णय

सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

4-11	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ञ) के अनुसरण में विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 29.09.2022 की अनुशंसा अनुरूप पीएच-डी पाठ्ययोजना के कोर्स वर्क हेतु लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क में आगामी सत्र से 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन ।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
4-12	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि पाठ्ययोजनाओं में प्रवेश हेतु लागू की गई प्रवेश नीति का अनुमोदन।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि पाठ्ययोजनाओं में प्रवेश हेतु लागू की गई प्रवेश नीति का अनुमोदन किया गया।
4-13	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए तैयार विवरणिका (Prospectus) का अनुमोदन।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए तैयार विवरणिका (Prospectus) का अनुमोदन किया गया।
4-14	विश्वविद्यालय के सत्र 2022-23 के एकेडमिक कलैंडर का अनुमोदन।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के एकेडमिक कलैंडर का अनुमोदन किया गया।
4-15	विश्वविद्यालय द्वारा जन-स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं विश्वविद्यालय को जनसंचार और संबंधित क्षेत्रों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए सहयोग हेतु MOBILOITTE FOUNDATION से MoU किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा MOBILOITTE FOUNDATION से MoU किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
4-16	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाने हेतु क्षमता-संवर्धन के निमित्त AIESEC से MoU किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाने हेतु क्षमता-संवर्धन के निमित्त AIESEC से MoU किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
4-17	विद्यापरिषद् की विशेष-तृतीय बैठक के निर्णय क्रमांक विशेष-III-(2)(i) दिनांक 20.04.2022 के क्रम में जारी सतत (आंतरिक) मूल्यांकन पद्धति के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 12125 दिनांक 04.03.2022 की पुष्टि एवं उक्त आदेश को सत्र 2022-23 से लागू किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** • विश्वविद्यालय में सतत/आंतरिक मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के लिए विद्यापरिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 18.02.2022 में एजेंडा बिन्दु 3-33 के अनुरूप आदेश जारी कर उसे विद्यापरिषद की आगामी बैठक में प्रतिवेदित किया जाना था। तदनुसार आदेश क्रमांक 12125 दिनांक 04.03.2022 जारी किया गया। • राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक 1536 दिनांक 24.03.2022 द्वारा उक्त एजेंडा बिन्दु 3-33 को नवीन कुलपति की नियुक्ति उपरान्त विद्यापरिषद/प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक तक स्थगित करना निर्देशित किया गया। इस कारण आदेश को लागू नहीं किया जा सका। • विद्यापरिषद् की तृतीय विशेष बैठक दिनांक 20.04.2022 में उक्त पत्र पर चर्चा की गई। सर्वसम्मत विचार था कि इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना उचित नहीं है। अतः छात्रहित में इस संबंध में शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लिया जाना समीचीन होगा।

	• उक्त का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 26.04.2022 में किया गया तथा विद्यापरिषद की तृतीय बैठक के एजेण्डा बिन्दु 3-26 एवं 3-33 पर की गई कार्रवाई को स्वीकार करते हुए, आगामी कार्यवाही किए जाने तथा इस आशय का पत्र राज्यपाल को प्रेषित किए जाने का निर्णय किया। • तदनुसार राज्यपाल सचिवालय को पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया गया। • सतत/आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 12125 दिनांक 04.03.2022 को आगामी सत्र 2022-23 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा सतत/आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 12125 दिनांक 04.03.2022 का अनुमोदन किया गया तथा उक्त आदेश को आगामी सत्र 2022-23 से लागू किए जाने पर सहमति जताई गई।
	प्रतिवेदनीय एजेंडा
4-18-1	राज्य सरकार के पत्रांक 3(54)शिक्षा-4/2021 पार्ट दिनांक 29.07.2022 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में छात्रसंघ, 2022-23 के लिए चुनाव आयोजित करवाए जाने तथा छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर विद्यार्थियों से छात्रसंघ निर्वाचन तथा छात्रसंघ सदस्यता शुल्क वसूल किए जाने संबंधी आदेश कमांक 16246 दिनांक 22.08.2022 एवं की गई कार्रवाई की पुष्टि। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** राज्य सरकार के उक्त पत्रांक के माध्यम से समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि दिनांक 26.09.2022 को छात्रसंघ चुनाव करवाए जाए। तद्नुसार छात्र कल्याण अधिष्ठाता के निर्देशन में छात्रसंघ चुनाव आयोजित करवाए गए। पूर्व वर्षो में कोरोना महामारी के कारण छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे। अतः इनसे संबंधित शुल्क वसूली में स्थगित कर दी गई थी। इस वर्ष छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर विद्यार्थियों से छात्रसंघ निर्वाचन तथा छात्रसंघ सदस्यता शुल्क वसूल किया गया।

	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में छात्रसंघ, 2022-23 के लिए चुनाव आयोजित करवाए जाने के लिए की गई कार्रवाई तथा विद्यार्थियों से छात्रसंघ निर्वाचन तथा छात्रसंघ सदस्यता शुल्क वसूल किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 16246 दिनांक 22.08.2022 की पुष्टि की गई।
4-18-2	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ख) व (ग) के अनुसरण में विभिन्न अध्ययन बोर्डों की अनुशंसानुरूप सत्र 2022-24 एवं 2022-25 में विभिन्न पाठ्ययोजनाऐं मय स्तर, अवधि, सीट आदि संचालित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 15388 दिनांक 20.06.2022 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4-18-3	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(त्र) के अनुसरण में सत्र 2022-23 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना संबंधी आदेश क्रमांक 15431 दिनांक 24.06. 2022 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4-18-4	कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों, विद्यार्थी संख्या में अभिवृद्धि एवं शिक्षण कार्य सुचारू करने हेतु प्रवेश नीति 2022-23 के नियम 1.1.1 एवं 2.1.1 में शिथिलन दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 15524 दिनांक 28.06.2022 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4-18-5	विश्वविद्यालय में प्रवेश समिति के प्रस्ताव के दृष्टिगत विद्यापरिषद् एवं प्रबंध बोर्ड की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति महोदय को प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवेश नीति 2022-23 के नियम 1-1-2 एवं 2-1-2 में शिथिलन प्रदान करते हुए आवेदक विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को

	न्यूनतम अर्हता से कम अंक होने की स्थिति में भी प्रवेश दिए जाने की अनुमति संबंधी आदेश क्रमांक 16810 दिनांक 23.09.2022 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4-18-6	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ग) एवं धारा 28(1) व (2) के अनुसरण में विभिन्न पाठ्ययोजनाओं के पाठ्यक्रम विहित करने हेतु अध्ययन बोर्डों के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 17195 दिनांक 21.10.2022 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4-18-7	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 5(i)(ii) एवं 7(ग) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय के दोनों संकायों के 05 विभागों में संचालित विभिन्न स्नातकोत्तर, स्नातक, पी जी डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स की पाठ्ययोजनाओं के सत्र 2021-23/2021-24 के पाठ्यक्रम लागू किए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 17252 दिनांक 02.11.2022, क्रमांक 17300 दिनांक 02.11.2022, क्रमांक 17264 दिनांक 02.11.2022, क्रमांक 17276 दिनांक 02.11.2022, क्रमांक 17240 दिनांक 02.11.2022 एवं क्रमांक 17288 दिनांक 02.11.2022 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों का अनुसमर्थन किया गया। सदस्यों का सुझाव था कि पाठ्यक्रमों में लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन करवाकर इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करवा दिया जाए।
4-18-8	विश्वविद्यालय के शोध ऑर्डिनेंस के बिन्दु संख्या 05 के प्रावधानानुरूप विभागीय शोध समिति की बैठक की संस्तुति अनुरूप डॉ. रतन सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 17445 दिनांक 10.11.2022 एवं शोध निर्देशकों से संबंधित संशोधित आदेश क्रमांक 17436 दिनांक 10.11.2022 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों का अनुसमर्थन किया गया।

4-18-9	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुरूप एवं वित्त समिति, विद्यापरिषद् एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन अनुरूप विश्वविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं सेवा संबंधी गतिविधियों को सम्पादित किए जाने हेतु मीडिया जगत के अनुभवी व्यक्तियों को एड्जंक्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्धारित मानदेय पर सूचीबद्ध किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 11991 दिनांक 22.02.2022 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4-18-10	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों के लिए जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा एवं शोध अनुभवों को समृद्ध किए जाने के निमित्त पारस्परिक सहयोग हेतु JSPH से किए गए MoU की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा JSPH से किए गए MoU की पुष्टि की गई।
4-18-11	विश्वविद्यालय को दहमीकलां, अजमेर रोड, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा आंवटित भूमि पर भवन निर्माण की अब तक की प्रगति से अवगत करवाए जाने हेतु।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय को दहमीकलां, अजमेर रोड, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा आंवटित भूमि पर भवन निर्माण की अब तक की प्रगति से संतोष जताया तथा सराहना की गई।
4-18-12	विश्वविद्यालय के दहमीकलां स्थित परिसर में भवन के शिलान्यास समारोह की रिपोर्ट से अवगत करवाए जाने हेतु।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय को दहमीकलां स्थित परिसर में भवन के शिलान्यास समारोह की सराहना की गई।
4-18-13	राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 3564 दिनांक 12.08.2022 के क्रम में विद्यापरिषद् की विशेष बैठक-तृतीय के निर्णयानुरूप विश्वविद्यालय के शोध ऑर्डिनेंस A.01 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक - 2 की पुष्टि।

	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन किया गया।
4-18-14	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 18(1)(2) के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू सम्पादन हेतु 02 असिस्टेंट प्रोफेसरों को संकायाध्यक्ष बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 22461 दिनांक 22.03.2022 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** कार्यसूची संख्या 4-18-14 से 4-18-20 तक सभी कार्यसूची संख्या प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 में अनुमोदित किए जा चुके है। अतः सूचनार्थ प्रस्तुत है।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई।
4-18-15	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के सम्पादन हेतु श्रीमती शालिनी जोशी को छात्र कल्याण अधिष्ठाता के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश क्रमांक 22461 दिनांक 22.03.2022 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई।
4-18-16	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू सम्पादन हेतु श्रीमती गरिमा श्री, सहायक प्रोफेसर को कुलानुशासक (प्रॉक्टर) बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 22461 दिनांक 22.03.2022 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई।

4-18-17	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 5 में विहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारा 19 के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में शोध संबंधी गतिविधियों के सुचारू सम्पादन हेतु डॉ. अजय कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर को समन्वयक, शोध बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 22461 दिनांक 22.03.2022 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई।
4-18-18	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन एवं प्रशासनिक और शैक्षणिक परिसर के मध्य समन्वय हेतु निदेशक पद के स्थान पर प्रबंध बोर्ड के निर्णय से इतर एवं पूर्ववर्ती आदेशों के अतिक्रमण में श्रीमती शालिनी जोशी, सहायक प्रोफेसर को समन्वयक, (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 22461 दिनांक 22.03.2022 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई।
4-18-19	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम-17 के अनुसार विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक कार्यों में परामर्श हेतु श्रीमती पूजा सिंह की शैक्षणिक सलाहकार के रूप में सेवाअवधि का एक वर्ष विस्तार किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 11938 दिनांक 18.02.2022 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई।
4-18-20	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सलाहकार के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(2)(ख) के प्रावधानानुसार डॉ. विवेक की परामर्शी सेवाओं में एक वर्ष विस्तार किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 12039 दिनांक 24.02.2022 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई।

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 015 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

4-19	अध्यक्ष महोदया की अनुमति से निम्नानुसार मुद्दे पर भी चर्चा की गई।
4-19(i)	**एजेंडा :** विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक लिए जाने के संबंध में।
	एजेंडा विवरण : कुलपति महोदया द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय में स्थाई शिक्षकों की अत्यन्त कमी होने के कारण, शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु यूजीसी योग्यताधारी (UGC Regulations 2018 के अनुरूप), सेवानिवृत्त अथवा अन्यत्र पूर्णकालिक रूप से कार्यरत व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय पर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लिए जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की थी तथा तद्नुसार 08 व्यक्ति सूचिबद्ध किए गए है। इनकी सेवाएं शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ली जानी है। साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया है कि यदि राज्य सरकार अनुमति देती है तो भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यासंबल योजना के अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त किए जाने हेतु कार्रवाई की जावेगी।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई तथा भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यासंबल योजना के अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई गई। साथ ही राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यासंबल योजना के अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त किए जाने का भी अनुमोदन किया गया।
पटल कार्यसूची (टिबल एजेंडा)	
4-20	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम,2019 की धारा 7(ङ) के अनुसरण में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से विभिन्न पाठ्ययोजनाएं आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

4–21	विश्वविद्यालय में आगामी सत्र हेतु पीएच–डी पाठ्ययोजना में उपलब्ध सीटों की अल्प संख्या एवं कोर्स वर्क की तदनुपातिक न्यून फीस के मद्देनज़र कोर्स वर्क संचालन हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की परिपूर्ति विश्वविद्यालय निधि से करवाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	संकल्प / निर्णय
	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

Sudhi Rajiv
(प्रो. सुधि राजीव)
कुलपति

(अबु सुफ़ियान चौहान)
RAS
कुलसचिव